

प्रेस विज्ञप्तिथाना रौनापारकिशोरी को भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 24.04.2024 को थाना रौनापार पर वादिनी मुकदमा द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया था कि दिनांक 22.04.2024 को अभियुक्त दीपक कुमार पुत्र दीपचन्द राम निवासी ग्राम आराजी देवारा करखिया (महडौर का पूरा) थाना रौनापार आजमगढ़ ने वादिनी की पुत्री को बहला फुसलाकर कर भगा ले गया तथा वादिनी द्वारा अभियुक्त के परिजनों से पूछने पर परिजनों ने गाली गलौच दिया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 162/2024 धारा 363/366/504 भादवि0 बनाम 1. दीपक कुमार पुत्र धूपचन्द राम 2. गीता देवी पत्नी धूपचन्द राम 3. बन्दना पुत्री धूपचन्द राम समस्त निवासीगण ग्राम आराजी देवारा करखिया (महडौर का पूरा) थाना रौनापार आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

➔ विवेचना के दौरान पीड़िता की बरामदगी कर उसके बयान व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 27.04.2024 को उ0नि0 जितेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त दीपक कुमार पुत्र धूपचन्द राम निवासी ग्राम आराजी देवारा करखिया (महडौर का पूरा) थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को ग्राम करखिया मोड़ से समय करीब 11.30 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 162/2024 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना रौनापार आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- दीपक कुमार पुत्र धूपचन्द राम ग्राम आराजी देवारा करखिया (महडौर का पूरा) थाना रौनापार आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:- उ0नि0 जितेन्द्र सिंह, का0 उपेन्द्र यादव, का0 अंकित कुमार थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

थाना- महाराजगंजपशु चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 26.04.2024 को वादी मुकदमा राजेश यादव पुत्र स्व0 धर्मदेव यादव निवासी भीलमपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादी और रिजवान के गोशालो में बंधे पशुओं को अभियुक्तो 1.अरमान पुत्र खालिद ग्राम छिछोरी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ 2. इब्राहिम पुत्र अज्ञात निवासी असरफपुर थाना मुबारकपुर आजमगढ़ 3.इब्राहिम का लडका 4.सिंधू पुत्र चन्द्रजीत राम ग्राम शिवपुर थाना महाराजगंज आजमगढ़ ने चोरी कर खेत में ले जाकर काटकर मांस उठा ले गये। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 152/24 धारा 379 भादवि व 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 पंजीकृत कर विवेचना व0उ0नि0 दलप्रताप सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 27.04.2024 को व0उ0नि0 दल प्रताप सिंह, SIUT अमित कुमार तिवारी व मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तों 1.अरमान पुत्र खालिद ग्राम छिछोरी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 27 वर्ष, 2. सिद्धू पुत्र चरनजीत ग्राम शिवपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र- 50 वर्ष को कुड़ही ढाल बंधा मंदिर के पास से समय करीब 00.20 बजे गिरफ्तार किया गया। जामा तलाशी के दौरान अभियुक्तों के पास से 13000/- रूपया बरामद हुआ, जो मांस बेचने से प्राप्त हुए थे। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अरमान पुत्र खालिद ग्राम छिछोरी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 27 वर्ष।

2. सिद्धू पुत्र चरनजीत ग्राम शिवपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र- 50 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 152/24 धारा 379 भादवि 3/5/8 उ0प्र0गोवध निवारण अधिनियम थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

बरामदगी- 13000 हजार रुपये बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- व0उ0नि0 दलप्रताप सिंह, SIUT अमित कुमार तिवारी, हे0का0 श्रीनारायण यादव थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़।

थाना- बरदह
गैर इरादतन हत्या करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 10.12.2023 को वादी मुकदमा धनन्जय सरोज पुत्र स्व0 रम्मन सरोज निवासी ग्राम बरदह आजमगढ़ द्वारा थाना बरदह पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 09.12.2023 को बरदह चौराहे पर कार (सं0 UP 14 AS 0179) के चालक द्वारा विपरीत दिशा से चलाते हुए जान बूझकर धक्का मार दिया गया जिससे वादी के भाई धर्मेन्द्र सरोज की मौके पर मृत्यु हो गयी तथा अन्य कई लोग घायल हो गये जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 523/2023 धारा 338/304/427 भादवि बनाम चार पहिया वाहन संख्या UP 14 AS 0179 के चालक के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 27.04.2024 को उ0नि0 श्रीप्रकाश यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त नवनीत राय उर्फ अतुल पुत्र विनय कुमार राय निवासी जगदीशपुर सोहौली थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को अभिमान तिराहा (सोहौली) से समय करीब 09:15 बजे गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय चालान किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- नवनीत राय उर्फ अतुल पुत्र विनय कुमार राय ग्राम जगदीशपुर सोहौली थाना बरदह आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 523/23 धारा 338/304/427 भादवि थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम- उ0नि0 श्रीप्रकाश यादव, हे0का0 राजू कुमार थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

थाना- कप्तानगंज
अवैध तमंचे व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 27.04.2024 को उ0नि0 उ0नि0 रमेश चन्द्र सिंह मय हमराह द्वारा अभियुक्त सलीम पुत्र सोयब ग्राम बिन्दवल जयराजपुर थाना बिलरियागंज आजमगढ़ को देउरपुर बाजार से 01 तमंचा .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ समय करीब 13.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 133/2024 धारा 3/25 Arms Act पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- सलीम पुत्र सोयब ग्राम बिन्दवल जयराजपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 133/2024 धारा 3/25 Arms Act थाना कप्तानगंज आजमगढ़।

बरामदगी- 01 तमंचा .315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर।

आपराधिक इतिहास-

1. मु.अ.सं.- 249/17 धारा 3, 5, 8 गोवध निवारण अधिनियम थाना बिलरियागंज आजमगढ़।
2. मु.अ.सं.- 79/20 धारा 3(1) गुण्डा अधिनियम थाना बिलरियागंज आजमगढ़
3. मु.अ.सं.- 165/23 धारा 25,3 आर्मस एक्ट थाना बिलरियागंज आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 रमेश चन्द्र सिंह, मु0आ0 दिनेश यादव थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़।

प्रेस नोट
जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने किया जिला कारागार का औचक निरीक्षण

आज दिनांक- 27.04.2024 को जिलाधिकारी आजमगढ़ श्री विशाल भारद्वाज व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य, अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेन्द्र लाल, सहायक पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल, प्रशिक्षणाधीन क्षेत्राधिकारी नीतीश गर्ग द्वारा जिला कारागार आजमगढ़ का औचक निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान जेल परिसर, कैदियों के बैरेक, भोजनालय, कैंटिन, सीसीटीवी, चिकित्सालय इत्यादि का निरीक्षण किया गया।